न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 199/2016

1 मातादीन पुत्र भूराराम उम्र 52 साल
2 रामदेव पुत्र भूराराम उम्र 47 साल
3 बनारसी देवी पत्नी भूराराम उम्र 74 साल
4 पारली देवी पत्नी बालूराम उम्र 90 साल
5 रामजीलाल पुत्र बालूराम उम्र 48 साल समस्त जाति माली निवासीगण ढाणी सेकुवाला तन ग्राम नेवरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.
।

अपीलांटस

बनाम

1 बाबूलाल पुत्र प्रभुराम उम्र 50 साल
2 महेश पुत्र प्रभुराम उम्र 42 साल
3 कैलाश पुत्र प्रभुराम उम्र 33 साल
4 औम पुत्र प्रभुराम उम्र 28 साल
5 श्रीमती बनारसी पत्नी प्रभुराम उम्र 70 साल
6 झाबर पुत्र मालाराम उम्र 50 साल
7 प्रभाती पत्नी घासीराम उम्र 65 साल
8 लीलाराम उम्र घासीराम उम्र 46 साल
9 बुधराम पुत्र घासीराम उम्र 44 साल
10 शंकरलाल पुत्र घासीराम उम्र 35 साल
11 ग्यारसीलाल पुत्र घासीराम उम्र 26 साल
12 नाथी पुत्री घासीराम उम्र 32 साल
13 माया पुत्री घासीराम उम्र 20 साल
14 रामेश्वर पुत्र दुलाराम उम्र 68 साल
15 जमना देवी पत्नी मोती उम्र 60 साल
16 गिरधारी पुत्र मोती उम्र 32 साल
17 सुरेश पुत्र मोती उम्र 22 साल
18 धूड़ाराम पुत्र त्रिलोकाराम उम्र 75 साल
19 श्योपाल पुत्र त्रिलोकाराम उम्र 60 साल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

20 जयप्रकाश पुत्र त्रिलोकाराम उम्र 45 साल
21 बनवारी पुत्र त्रिलोकाराम उम्र 40 साल
22 श्यामलाल पुत्र भोलूराम उम्र 40 साल
23 ताराचन्द पुत्र भोलूराम उम्र 35 साल
24 श्रीराम पुत्र भोलूराम उम्र 32 साल
25 भोलाराम पुत्र सुरजाराम उम्र 78 साल
26 मालाराम पुत्र सुरजाराम उम्र 70 साल
27 नन्चूराम पुत्र सुरजाराम उम्र 65 साल समस्त जाति माली समस्त निवासीगण ढाणी सेकुवाला तन ग्राम नेवरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
28 तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.06.2016 विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मु.नं. 116/2013 शीर्षक मुकदमा मातादीन वगे. बनाम बाबूलाल वगै.

उपस्थिति :
1. श्री मनोहरलाल सैनी, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 4/4/25

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 116/2013 में पारित निर्णय दिनांक 21.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलान्टस ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के समक्ष दावा बाबत घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा दुरूस्ती रिकार्ड एवं बंटवारा का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 28 के खिलाफ अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि स्थित ग्राम नेवरी पटवार हल्का नेवरी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर पुराना 668, 687, 689 मी., 689मी., 689मी., 690, 694मी, 693मी, 689मी, 691मी, 793मी, 456 के नया खसरा नम्बर 333, 334, 336, 337, 338, 340, 352, 354, 355, 1148/340, 1277/340, 1278/270, 613 का रकबा क्रमशः 0.22, 0.42, 0.36, 0.29, 0.04, 0.13, 0.04, 0.34, 0.40, 0.09, 0.14, 0.04, 0.42 हैक्टेयर के कुल खसरा 13 कुल रकबा 2.93 हैक्टेयर अवस्थित है, जो ग्राम नेवरी में स्थित ढाणी सेकूवाला ढाणी के नाम से जानी जाती है तथा उक्त भूमि के अलावा निरवाला कुआ तन ग्राम नेवरी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर पुराना 715मी, 716मी, 716मी, 715मी, 718मी, 719, 724, 725मी, 725मी, 725मी, 725मी, 725मी के नये खसरा नम्बर 380, 381, 382, 383, 385, 386, 387, 391, 392, 393, 394, 395, 1177/396 का रकबा क्रमशः 0.16, 0.05, 0.09, 0.50, 0.50, 0.47, 0.58, 0.63, 0.21, 0.13, 0.25, 0.13, 0.25, 0.13, 0.08 का कुल खसरा 13 का कुल रकबा 3.78 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम गैर मुमकिन आबादी अवस्थित है। उक्त संपूर्ण भूमि मं वादीगण/अपीलान्टस का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी/रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 लगायत 13 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी/रेस्पोडेन्टस नम्बर 14 लगायत 17 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 18 लगायत 24 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 25 लगायत 27 का 1/5 हिस्सा है जो मौके पर आज तक अविभाजित है। जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त भूमि के अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट के पूर्वजों के फौत होने के उपरांत उक्त भूमि का खाता काफी बड़ा होने के कारण उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपीलान्टस के नाम उक्त भूमि उनके हिस्से व कब्जे के आधार पर रिकार्ड में दर्ज न होने के कारण अपीलान्टस/वादीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकार दावा पेश किया था। वादीगण/अपीलान्टस ने दावा दिनांक 04.04.2013 को पेश किया था उसके बाद लगातार 10 तारीख

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पेशियों पर केवल आर्डरशीट पर मोहर लगाकर तारीख पेशियां दी गई उसके बाद दिनांक 01.10.2014, दिनांक 31.10.2014 व 07.01.2015 की तारीख पेशी पर आर्डरशीट लिखी गई तथा पत्रावली प्रतिवादीगण की तामील में नियत की गई उसके उपरांत पुनः 7 तारीख पेशी केवल ऑर्डरशीट पर मोहर लगाकर तारीख पेशियां दी गई। इसके उपरांत दिनांक 21.06.2016 को उक्त प्रकरण को कैम्प कोर्ट नेवरी में पेश होना दिखाते हुये बिना प्रतिवादीगण की तलबी के उक्त प्रकरण का फैसला अपीलान्टस की गैर मौजूदगी में अपीलान्टस/वादीगण का दावा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्टस ने विचारण न्यायालय के समक्ष दावा बाबत घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा, दुरूस्ती रिकार्ड एवं बंटवारा का पेश किया था जिसमें अपीलान्टस ने अपने दावा में रिकार्ड दुरूस्ती की सिद्धि भी चाही थी इसलिए उक्त दावे में प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस की तामील होने पर उनका जवाब दावा लेकर फिर प्लींडिग्स के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर पक्षकारों की मौखिक व दस्तावेजी शहादत ली जाकर पक्षकारों को सुनवाई का अधिकार देकर ही उक्त प्रकरण का निस्तारण करना चाहिये था जबकि विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टस की तामील हुए बगैर ही निर्णय पारित करने की कानूनी भूल की है। पक्षकारान ने अपने सहखातेदारी की भूमि वर्णित दावा धारा 1 का आपसी पारिवारिक समझौते से काफी समय पूर्व से बंटवारा कर रखा है तथा उसी अनुसार सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है तथा काश्त करते है। यह तथ्य प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस के हाजिर होकर जवाब देही करने से तथा फिर पक्षकारान की मौखिक साक्ष्य से साबित होता, जबकि विचारण न्यायालय ने बिना प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस की तामील हुए ही वादीगण/अपीलान्टस का दावा खारिज करने की कानूनी भूल की है। पत्रावली प्रतिवादी/रेस्पोडेन्टस की तलबी में चल रही थी फिर भी अचानक ही बिना पक्षकारों को कोई सूचना दिये ही दिनांक 21.06.016 को प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया जाता है। किसी भी सहखातेदारी की भूमि का कोई भी खातेदार अपनी भूमि का खाता विभाजन करवा सकता है जो उसका कानूनी अधिकार है। अपीलान्टस ने भी अपनी संयुक्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

खातेदारी की भूमि का खाता विभाजन करवाने हेतु दावा पेश किया था जिसको विचारण न्यायालय ने खाता विभाजन न कर खारिज करने की कानूनी भूल की है। वादीगण/अपीलान्टस ने विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था जिसको कैम्प कोर्ट नेवरी में रखा गया था जिसमें अगर कोई पक्षकार राजीनामा प्रस्तुत करते है तो न्यायालय को तथाकथित भूमि का विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर प्राथमिक डिक्री बनाई जाकर बाद में पक्षकारों की सहमति ली जाकर उसके बाद ही अंतिम डिक्री बनानी चाहिए थी न कि बिना पक्षकारों का सुने ही अंतिम डिक्री बनानी चाहिए थी इस बिन्दू पर भी विचारण न्यायालय ने गौर न कर निर्णय पारित किया है। वर्तमान दावे में अपीलान्टस की किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं थी तथा बंटवारा का होने के बावजूद भी दावा डिक्री करने की बजाय दावा खारिज किया है। प्रकरण में गत तारीख पेशी दिनांक 16.05.2016 नियत थी जिसमें वादीगण/अपीलान्टस को आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.07.2016 बताई गई तथा न्यायालय की आर्डरशीट के मुताबिक भी पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.07.2016 ही नियत है उसके बाद अपीलान्टस को किसी प्रकार के कैम्प कोर्ट नेवरी हेतु किसी प्रकार के नोटिस जारी नहीं किये गये तथा पत्रावली को किसी पक्षकार के निवेदन पर कैम्प कोर्ट में रखा गया और बिना अपीलान्टस को सुनवाई का अधिकार दिये ही विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस के दावे को उसमें निर्धारित तिथि से पूर्व खारिज करने की कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में दावा दिनांक 04.04.2013 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु पत्रावली नियत की गई। दिनांक 04.04.2013 से दिनांक 16.05.2016 तक पत्रावली तलबी में नियत रही है। दिनांक 16.05.2016 को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 28.07.2016 नियत की गई है। विचारण न्यायालय ने तलबी पूर्ण किये बिना विधिक प्रकिया की पालना किये बिना नियत तिथि से पूर्व दिनांक 21.06.2016 को पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखकर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया गया है स्पष्ट है कि विचारण

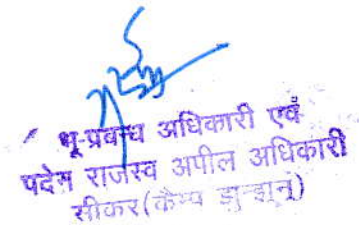

न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

न्यायालय द्वारा रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया अनुसार प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण कर, जवाब दावा प्राप्त कर, तनकी कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 4/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

(अनिल कुमार पूनिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर